सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 वैशाख 3, गुरुवार, शाके 1948– अप्रेल 23, 2026 अंक 4
Vol. 78 Vaisakha 3, Thursday, Saka 1948–April 23, 2026 No. 4

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एक. 1/12. / एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में)

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता मुकेश धारू (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व मुकेश हरिजन (पुराना नाम) कहलाता था/कहलाती थी एवं जो सफाई कर्मचारी (सबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में नगर परिषद पुष्कर (स्थान जहां से राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी। एतद्द्वार :–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम मुकेश उपनाम हरिजन (सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम मुकेश तथा उपनाम धारू ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्वारा मेरे पूर्व उपनाम हरिजन (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम धारू द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रो प्रलेखो एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम मुकेश तथा उपनाम हरिजन (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में मुकेश नाम के रूप में तथा धारू उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम मुकेश उपनाम धारू के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम मुकेश हरिजन, मुकेश धारू तथा धारू का वर्णन किया है तथा दिनांक 15.03.2026 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम मुकेश धारू द्वारा जो पूर्व में मुकेश हरिजन कहलाता था/कहलाती थी हस्ताक्षर किये है।

मुकेश हरिजन
हस्ताक्षर
नया नाम : मुकेश धारू
पुराना नाम : मुकेश हरिजन

साक्षी

1. सम्पत राम
   (कनिष्ठ अभियंता)
2. योगश कुमार शर्मा
   (कार्यालय सहायक)

प्रतिहस्ताक्षर
जनार्दन शर्मा
15.03.2026
आयुक्त
नगर परिषद पुष्कर

1996

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।